पत्रांक–04 / सड़क–16–38 / 2025– 5564 न०वि०एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम, बिहार।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्, बिहार / सभी नगर पंचायत, बिहार।

पटना, दिनांक– 19/5/26

विषयः– **नगर निकायों के द्वारा आपातकालीन स्थिति में योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2390 दिनांक 25.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से नगर निकाय द्वारा ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख) मात्र से कम लागत की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अनिवार्यतः निविदा के माध्यम से कराए जाने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 4322 दिनांक 24.08.2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सभी नगर निकायों की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई–निविदा के माध्यम से ही कराए जाने हेतु निदेशित है।

उपरोक्त निदेश के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में संचिका में स्पष्ट कारण एवं औचित्य अंकित करते हुए नागरिक सुरक्षा तथा अनिवार्य सुविधा एवं सेवा से संबंधित पुर्नस्थापन (restoration) तथा मरम्मत के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संवेदकों का पैनल तैयार कर अद्यतन अनुसूचित दर (SoR) के आधार पर अधिकतम एक लाख रुपए की लागत तक के कार्य कराए जा सकते हैं। इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर पैनल तैयार कर लिया जाएगा। उक्त पैनल की अवधि एक वर्ष की होगी।

विश्वासभाजन,

19/5/26

प्रधान सचिव